

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्र.सं: प्र.सं./जी-88 (पार्ट-1)/2015-16/2015/

दिनांक :

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकलपीठ याचिका संख्या 9737/2015 द्वारा डॉ. राधाकृष्णन् नर्सिंग इन्स्टी., जोधपुर बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक : 04.09.2015 की पालना में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प. 24 (300) चिस्वा./ग्रुप-3/2015 दिनांक 17.09.2015 के अनुसरण में उक्त संस्थान को याचिका में अन्तिम निर्णय की पालना में सत्र 2015-16 में जीएनएम प्रशिक्षण हेतु छात्र आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संस्थान का नाम विभाग द्वारा जारी निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

क्र.सं.	उसी सूची की क्र.सं.	संस्थान का नाम	जिला	कुल सीटें	50 प्रतिशत राजकीय कोट से	50 प्रतिशत फंडरेशन कोटे से	विशेष विवरण
1.	136	डॉ. राधाकृष्णन् नर्सिंग इन्स्टी., 207 विजय नगर, बासनी फेस, खुरी भगतसनी, जोधपुर	जोधपुर	30	15	15	संयुक्त न्यायालय की याचिका में आदेश दिनांक 4-9-15 की पालना में

शेष शर्तें एवं मापदण्ड यथावत रहेंगे।

(श्यामलाल गुर्जर)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

क्र.सं: प्र.सं./जी-88 (पार्ट-1)/2015-16/2015/ 1470

दिनांक : 26-9-15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फंडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूट्स फंडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य समस्त निजी नर्सिंग स्कूल्स राजस्थान।
6. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश/सूची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(श्यामलाल गुर्जर)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0, जयपुर